



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

25 पौष 1942 (श10)
(सं० पटना 50) पटना शुक्रवार 15 जनवरी 2021

पंचायती राज विभाग

अधिसूचना

14 जनवरी 2021

सं० 1प/स्था०-04-10/2015 (खण्ड)/08/पं०रा०-सत्रवाद संख्या-89/06/41/18 (घोषी थाना कांड संख्या-236/03) में भारतीय दंड संहिता की धारा-120(B) एवं धारा 302 तथा आर्म्स एक्ट की धारा-27 अंतर्गत माननीय त्वरित द्वितीय न्यायालय, जहानाबाद द्वारा श्री अभिमन्यु शर्मा, प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी (सेवानिवृत्त) को दिनांक-03.12.2018 के प्रभाव से आजीवन कारावास का दंड दिया गया है।

2. घोषी थाना कांड संख्या-236/03 में आरोपित होने एवं सजायापता हो जाने की सूचना श्री शर्मा द्वारा विभाग को नहीं दी गई, जिसके फलस्वरूप सेवाकाल में उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई नहीं की जा सकी।

3. इस संबंध में विभागीय पत्रांक-7832 दिनांक-14.12.2020 द्वारा श्री शर्मा से घोषी थाना कांड संख्या-236/03 में माननीय त्वरित द्वितीय न्यायालय, जहानाबाद द्वारा आजीवन कारावास की सजा दिये जाने के फलस्वरूप बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के नियम-43(बी) के तहत पूर्ण पेंशन रोकने के बिन्दु पर स्पष्टीकरण की माँग की गई। श्री शर्मा से प्राप्त स्पष्टीकरण को अस्वीकृत करते हुए सक्षम प्राधिकार द्वारा बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के नियम-43(बी) के तहत श्री शर्मा को देय पेंशन पूर्ण रूप से रोकने का निर्णय लिया गया है।

4. वर्णित स्थिति के आलोक में श्री शर्मा को माननीय त्वरित द्वितीय न्यायालय, जहानाबाद से आजीवन कारावास की सजा हो जाने के फलस्वरूप बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के नियम-43(बी) के तहत पूर्ण रूप से पेंशन रोकने का दण्ड अधिरोपित किया जाता है।

5. प्रारूप पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
विनीता,
विशेष कार्य पदाधिकारी।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 50-571+10-डी0टी0पी0
Website: <http://egazette.bih.nic.in>